संख्या– /XXVII(7)36/2010–11

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांक 23 दिसम्बर, 2019**

विषयः उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–61/XXVII (7)36 /2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा "वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018" का प्रख्यापन किया गया है।

2. वर्तमान में सामग्रियों, मजदूरी, ईंधन आदि की दरों में हुई वृद्धि तथा कार्य को सुचारू रूप से संचालित किये जाने एवं शासन स्तर पर छोटे–छोटे कार्यों की अनुमति हेतु विभिन्न स्रोतो से सन्दर्भ प्राप्त होने के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की वित्तीय परिसीमाओं में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत "वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) के परिशिष्ट–1 एवं भाग–2 में उपबन्धित वित्तीय अधिकारो में संलग्न परिशिष्टों के अनुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित किए गए वित्तीय अधिकार वित्त विभाग की विशिष्ट स्वीकृति के बिना उस प्राधिकारी द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को पुनः प्रतिनिहित नहीं किए जायेंगे।

4. उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) में प्रतिनिहित अधिकार सम्बन्धी शासनादेश संख्या–61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं शासनादेश की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 434 (1)/XXVII(7)36/2010–11, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊ
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।

13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त कि नियंत्रक/कि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन की 250 प्रतियां पुस्तिका के रूप में तैयार कर यथाशीघ्र वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. निदेशक, आई.टी.डी.ए. को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन को राज्य की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
17. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) के अध्याय–04 (विभागाध्यक्षों की सूची) परिशिष्ट–1 में अंकित विभागाध्यक्षों की सूची के क्रमांक–105 के पश्चात निम्न विभागाध्यक्षों के नाम अगेत्तर सम्मिलित किये जाते हैं:–

106. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
107 निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना (श्रम चिकित्सा सेवाऐं), उत्तराखण्ड।
108. निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय, सी.टी.आर.एफ.ए., सुद्धोवाला, देहरादून।
109. आयुक्त, खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग।
110. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण, उत्तराखण्ड।

****

परिशिष्ट–2
अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकार

विवरण पत्र–1
आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण

विवरण पत्र–1 "आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय" के अन्तर्गत क्रमांक–1 (5) के कालम–5 के स्थान पर कालम–6 का प्रतिस्थापन एवं क्रमांक–26 के बाद क्रमांक–27 व 28 जोड़ा जाना:–

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमायें
1	2	3	4	5	6
1	(V) कम्प्यूटर उपकरण एवं उपस्कर, फोटोकॉपियर, वॉटर कूलर/ प्यूरीफायर / ए0सी. आदि कार्यालय सम्बन्धी उपकरणों का वार्षिक अनुरक्षण/ अनुबन्ध किया जाना।	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	प्रतिबन्ध यह कि वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध मूल निर्माता (OEM) अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि से किया जायेगा जिसकी दर कय मूल्य (करों को छोड़कर) की 8 प्रतिशत से अनधिक होगी।	अधिप्राप्ति के नियमों का पालन करते हुए एवं बजटीय सीमा में रहते हुए वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध मूल निर्माता (OEM) अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि से किया जायेगा जिसकी दर कय मूल्य (करों को छोड़कर) की 10 प्रतिशत से अनधिक होगी।
		2–विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार		
		3–कार्यालयाध्यक्ष	एक समय में रू0 15,000/– (रू0 पन्द्रह हजार) की सीमा के अन्तर्गत तथा एक वर्ष में रू0 1,00,000 (रू0 एक लाख) तक की सीमा तक।		

अन्य व्यय

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
27.	किसी विशिष्ट कार्य के लिए वाह्य व्यावसायिक विशेषज्ञ, परामर्श देने वाली फर्मो आदि की सेवायें की स्वीकृति प्रदान करना।	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 10,00,000/–(रू0 दस लाख) तक	
		3–कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5,00,000/–(रू0 पांच लाख) तक	
28.	वेब सर्विसेस, मोबाईल एप, पोर्टल डेवलपमेंट एवं इनका वार्षिक अनुरक्षण।	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख) तक	
		3–कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5,00,000/–(रू0 पांच लाख) तक	

विवरण पत्र–3
निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय

क.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमायें
1	2	3	4	5
3	निर्माण कार्यों के ब्यौरेवार अनुमानों/ अनुपूरक अनुमानों/ पुनरीक्षित अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	3–अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	3– रू0 40,00,000/– (रू0 चालीस लाख) की सीमा तक।	3–रू0 50,00,000/– (रू0 पचास लाख) की सीमा तक।
		5–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	5– रू0 8,00,000/– (रू0 आठ लाख) की सीमा तक।	5– रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख) की सीमा तक।

विवरण पत्र–4
ठेके और टेण्डर

क.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	
1.	1.(क) छोटे निर्माण कार्यों (पेटी वर्क्स) तथा लघु कार्यों (Minor works) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	(वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक)
		2–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) तक	प्रत्येक मामले में रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख) तक	–तदैव–
		3–कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 1,50,000/– (रू0 एक लाख पचास हजार) तक	प्रत्येक मामले में रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) तक	–तदैव–
2.	1.(ख) आउटसोर्सिंग से सफाई, सुरक्षा, माली, वाहन चालक, कम्प्यूटर आपरेटर, टैक्नीशियन, कैन्टीन/मैस (भोजन व्यवस्था) पलम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन आदि की व्यवस्था के लिए टेण्डर/ठेके स्वीकृत करना।	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख) तक	प्रत्येक मामले में रू0 25,00,000/– (रू0 पच्चीस लाख) तक	–तदैव–

		3–कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 1,50,000/– (रू0 एक लाख पचास हजार) तक	प्रत्येक मामले में रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख) तक	–तदैव–
3.	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिए टेण्डर स्वीकृत करना।	2.(ख) अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत/ यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	2–(ख) रू0 35,00,000/– (रू0 पैतीस लाख) की सीमा तक।	रू0 50,00,000/– (रू0 पचास लाख) की सीमा तक।	वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		4–अधिशासी अभियन्ता (सिविल) ग्रामीण निर्माण विभाग।	रू0 40,00,000/– (रू0 चालीस लाख) की सीमा तक।	रू0 75,00,000/– (रू0 पचहत्तर लाख) की सीमा तक।	–तदैव–
		5–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/ यांत्रिक, लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई विभाग /ग्रामीण निर्माण विभाग।	रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।	रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख) की सीमा तक।	–तदैव–
		8–सहायक अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक	रू0 2,00,000/– (रू0 दो लाख) की सीमा तक।	रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।	–तदैव–

विवरण पत्र–4 "ठेके और टेण्डर" के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–3 के पश्चात नया क्रमांक–4 का जोड़ा जाना।

क.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
4	बिना निविदा आमंत्रित किये कार्यादेश (वर्कआर्डर) पर आधारित निर्माण कार्य।	4–अधिशासी अभियन्ता	4–रू0 2,50,000/– (रू0 दो लाख पचास हजार) तक	वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।

विवरण पत्र–5

भण्डार (स्टोर्स) तथा अन्य चल सम्पत्ति

विवरण पत्र–5 "भण्डार (स्टोर्स) तथा अन्य चल सम्पत्ति" के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–4 (ख) "औजारों और संयंत्र की मरम्मत के लिए अनुमान स्वीकृत किया जाना" के क्रमांक–3 के पश्चात नया क्रमांक–4 का जोड़ा जाना।

क.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
4	(ख) औजारों और संयंत्र की मरम्मत के लिए अनुमान स्वीकृत किया जाना।	4–अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0	4–रू0 60,000/– (रू0 साठ हजार)	–

विवरण पत्र–8
अग्रिम धनराशियॉ

विवरण पत्र–8 "अग्रिम धनराशियॉ" के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–8 व बिन्दु संख्या–9 का संशोधन तथा कमांक–14 के बाद कमांक–15 नया जोड़ा जाना।

क.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति अग्रिम।	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	चिकित्सा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानक एवं प्रकिया अनुसार 75% की सीमान्तर्गत बजटीय प्राविधानों के अधीन।
		2–विभागाध्यक्ष	रू0 5,00,000 (पांच लाख) तक।	रू0 10,00,000 (दस लाख) तक।	
		3–कार्यालयाध्यक्ष	रू0 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) तक।	रू0 3,00,000 (तीन लाख) तक।	
9.	कार्यालय व्यय	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में निर्धारित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक
		2–विभागाध्यक्ष		रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) तक	
		3–कार्यालयाध्यक्ष		रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख) तक	

अग्रिम धनराशियॉ

क.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
15.	प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यय हेतु अग्रिम स्वीकृत करना।	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख) तक	
		3–कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5,00,000/–(रू0 पांच लाख) तक	

****